



HAMIRPUR POLICE



दिनांक-24/11/2020

थाना राठ

अपहृत युवक बरामद:-

दिनांक 21.11.2020 को समय करीब 21.20 बजे थाना राठ क्षेत्र निवासी मनोज कुमार सोनी पुत्र केशव प्रसाद निवासी मोहल्ला पठनऊ थाना राठ द्वारा थाना राठ पर सूचना दी गई कि अनिल सोनी उर्फ अन्नी पुत्र केशवप्रसाद सोनी नि0 पठनऊ कस्बा व थाना राठ जनपद हमीरपुर समय करीब 17.00 बडे पडाव तिराहा के पास शक्ति मन्दिर के बगल मे ऑनलाइन सेन्टर पर वैष्णो देवी जाने के लिये टिकट बुक कराने गया था, जहां पर सूरज यादव (उम्र करीब 26 वर्ष)पुत्र अज्ञात, मोना यादव (28 वर्ष) पुत्र अज्ञात एवं मोहन गुप्ता (उम्र करीब 25 वर्ष) पुत्र राकेश गुप्ता निवासीगण मुहाल दीवानपुरा थाना राठ व पांच अज्ञात व्यक्ति अपने हाथ में तमंचा लेकर आए उसके भाई के साथ मारपीट की व उसका अपहरण करके ले गए है। उपरोक्त सूचना पर थाना राठ पुलिस द्वारा 03 नामजद व 05 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राठ पर मु0अ0सं0-543/20 धारा 364 आईपीसी मे अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना राठ पुलिस द्वारा घटना से संबंधित एक व्यक्ति मोहन गुप्ता को तत्काल खोजकर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, पूछताछ मे मोहन गुप्ता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2019 मे जुलाई के माह मे अनिल सोनी द्वारा अपने साथियों के साथ एक शादी समारोह के दौरान सूरज यादव के साथ किसी बात को लेकर मारपीट की घटना की गई थी,मेरा उससे सट्टे के पैसों के लेनदेन को लेकर भी इस बीच फोन पर गाली-गलौज हो गयी थी। उसी का बदला लेने के लिए हम लोगो द्वारा अनिल सोनी के साथ मारपीट करके के बाद उसको जाने के लिए एक ई-रिक्शा पर बिठा दिये थे।

घटना की सूचना पर श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, चित्रकूट धाम बांदा और पुलिस अधीक्षक हमीरपुर एवं अपर पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना स्थल के आसपास लोगों से पूछताछ की गयी एवं संभावित स्थानों पर तलाश करायी गयी। साथ ही अपहृत की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियुक्तों से सम्बन्धित कई लोगों से पूछताछ की गई।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा गठित टीमों को आवश्यक निर्देश दिए गए। गठित टीमों द्वारा उक्त प्रकरण में गहराई से एवं उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा तकनीकी संसाधनों के माध्यम से विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि मारपीट के बाद अनिल सोनी को मोहन गुप्ता द्वारा अपनी मोटरसाइकिल से लेकर वारसी टेंट हाऊस ट्रांसफार्मर चौराहा पर ई रिक्शा पर बैठा दिया गया था, लेकिन अनिल सोनी के द्वारा घटना को सनसनीखेज बनाने के लिए तथा आरोपियों पर बड़ी कार्यवाही कराने की मंशा से स्वयं को अपने लोगों के माध्यम से छिपाया गया। गहराई से तथ्यों की जांच करने के उपरांत गठित पुलिस टीम द्वारा अपहृत को छिपाकर रखने वाले लोगों से पूछताछ की गई एवं उन्हें सांकेतिक रूप से अवगत कराया गया कि पुलिस को सारे तथ्यों की जानकारी है। इस क्रम में अपहृत अनिल सोनी उर्फ अनी को छिपा कर रखने वाले लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया कि पुलिस घटना की तह तक पहुंच गई है तथा उन लोगों द्वारा अपने आप को बचाने के लिए अपहृत अनिल सोनी उर्फ अनी को योजनाबद्ध तरीके से एक जगह बुलाया गया, जहां से पुलिस पार्टी द्वारा इनको बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ पर अनिल सोनी उर्फ अनी के द्वारा बताया गया कि जब दिनांक 21/11/2020 को मैं शाम को घर से निकला था तो मुझे मोहन गुप्ता, सूरज यादव, मोना यादव व गद्दार आदि लोगों ने मारा-पीटा तथा अपने साथ कब्रिस्तान के पास ले गए वहां पर भी मारपीट कर इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया और मोहन गुप्ता मुझे अपनी मोटरसाइकिल से लेकर वारसी टेंट हाऊस ट्रांसफार्मर चौराहा पर ई रिक्शा पर बैठाकर चला गया। मैं वहां से सीधे अखिलेश खरे के घर गया तथा वहां पर 200 रु0 की शराब मंगाकर पिया तथा खाना पीना खाने के बाद मैं अपने नए वाले घर में बाहर से बंद करके इस प्रकार अंदर छिप गया कि कोई आए तो उसे लगे कि यहां पर कोई नहीं है। मैंने अखिलेश खरे के फोन से ही अपने दोस्त अशोक लखेरा को फोन करके बता दिया था कि मैं सुरक्षित हूं। सुबह मेरे पास अशोक लखेरा आया तो उससे मैंने कानपुर जाने के लिए बताया और गाड़ी की व्यवस्था की। अपने मित्र हर्ष राजपूत की गाड़ी तथा पप्पू खान को लेकर मैं कानपुर जाने के लिए तैयार हुआ। संपर्क में रहने एवं बात करने के लिये अशोक लखेरे से एक मोबाइल फोन भी लिया। मैं हर्ष राजपूत के घर पर मुंह बांध कर गया था, वहीं से वैगनआर गाड़ी (यू0पी0-91 एन1722) से हमीरपुर तथा अलियापुर टोल प्लाजा होते हुए कानपुर गया और सनी होटल

फजलगंज में रुका, वहां से व्हाट्सएप काल के माध्यम से सारी घटना की जानकारी लगातार अशोक लखेरा से लेता रहा। शाम को बातचीत होने पर इन लोगों की बातचीत से लग गया कि पुलिस को सब सही बात की जानकारी हो गई है और पुलिस कभी भी हमारे लोगों को उठा सकती है अतः मेरे भाई पप्पू सोनी और अशोक लखेरे के कहने पर मैं कानपुर से चल कर वापस आ गया तथा योजना के अनुसार राठ पनवाड़ी रोड़ पर गिरवर पुलिया के पास बैठ गया, जहां से पुलिस मुझे अपने साथ ले गयी।

उक्त प्रकरण में पुलिस की गठित टीमों के द्वारा रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा एवं होटल से रिकॉर्ड एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किया गया है जिससे भी प्रमाणित है कि उसे कार से कानपुर ले गए थे एवं वहां पर होटल में रुके थे।

बरामद करने वाली टीम-

1. प्र०नि० राठ श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय
2. स्वाट प्रभारी श्री बृजेश कुमार यादव
3. उ०नि० श्री शरद चन्द्र पटेल थाना राठ

4. का० शक्ति सिंह थाना राठ
5. हे०का० जितेन्द्र शुक्ला
6. का० कमलकांत
7. का० राजदीप

➤ अपहृत की बरामदगी एवं घटना का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा 10,000/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।

